भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 121

(24 नवंबर, 2014 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विधायकों द्वारा एक गांव का गोद लिया जाना

121. श्री पवन कुमार वर्माः

श्री राजकुमार धूतः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री ने विधायकों से किसी गांव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक गांव गोद लेने की सार्वजनिक अपील की है और यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास (एल.ए.डी.) आवंटनों के अतिरिक्त किसी विशेष निधि का आवंटन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस अपील से क्या नई ठोस चीजें प्राप्त की जा सकती हैं; और

(घ) विशेष रूप से, इस तरह की अपील ग्रामीण गरीबी शामिल करने, भूख और अभाव को दूर करने में ठोस और टिकाऊ आधार पर कहां तक सफल हो सकती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री बीरेन्द्र सिंह)

(क) जी हां, माननीय प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) को शुरू करते समय एवं अन्य अवसरों पर विधायकों के लिए इस प्रकार की स्कीम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया है जिससे कि देशभर में अधिक से अधिक आदर्श ग्राम पंचायतें हो सकें। उन्होंने, यथा संभव आदर्श ग्राम बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए 29 अक्टूबर, 2014 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को पत्र भी लिखा है और उनसे अनुरोध है कि वे विधान सभा/परिषद के

सदस्यों से अपील करें कि वे एसएजीवाई दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों का निर्धारण करने के लिए आगे आएं और आदर्श ग्राम में विकसित करने के लिए नेतृत्व प्रदान करें। इस तरह से, देशभर में उदाहरण दर्शाने के लिए बहुत से आदर्श गांव उपलब्ध होंगे जिससे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके सपनों को साकार किया जा सके और केन्द्र के सुदृढ़, समृद्ध एवं प्रगतिशील भारत निर्माण वाले लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ख) और (ग) उपर्युक्त जरूरतों का ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्य विधियां/स्कीमें तैयार करनी है।

(घ) यदि माननीय प्रधानमंत्री की अपील भाग (क) अर्थात् एसएजीवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू हो जाती है तो स्कीम के अन्तर्गत परिकल्पित विशेष रूप से नीचे दर्शाए गए महत्वपूर्ण परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है:-

- आजीविका/रोजगार अवसरों में वृद्धि
- मुसीबत के समय पलायन में कमी
- बंधुआ मजदूरी/बाल मजदूरी एवं मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्ति
- मृत्यु और जन्म का 100 प्रतिशत पंजीकरण
- समुदाय के सभी वर्गों को मान्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली तैयार करना
- शांति और सद्भाव
- अन्य ग्राम पंचायतों पर निदर्शन प्रभाव